

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

दीनाराम बनाम छोटूराम

दिनांक 11.10.2022

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। अभिभाषक/प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके मुताबिक प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ही साबित प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 को आगामी नियत दिनांक 13.12.2022 तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 351 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) में से प्रार्थीगण/वादीगण के हक व हिस्से में किसी भी तरह के काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, उपयोग/उपभोग में रुकावट/बाधा उत्पन्न न करे। क्योंकि उक्त आदेश ताफैसला दावा सम्पुष्ट कर दिया जावे? कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत आकर अपना-अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलवी अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड तलवी हेतु नोटिस तलवाना पेश करे, जारी हो। उक्तानुसार वकील प्रार्थी द्वारा आगामी नियत दिनांक पूर्व तलवी नहीं कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त जारी अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी नियत दिनांक को निरस्त समझे जावेंगे। बाद तलवी पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.12.2022 को पेश हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

सहायक क्लर्क
मुण्डावर (अलवर) राज0

अदालत पेश हुई/बनुलगाय/पत्रावली
अधिकारी दीगर राजकीय कार्य में
है/गताम्युक्त कार्यवाही हेतु प्रारम्भ
किया है।

NBT Post
Chypl

31

दीनाराम

Chypl

31

दीनाराम

13/12/22

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली मूल दवा पत्रावली के साथ पेश हुई। चूंकि आज प्रार्थी की मूल दवा

पत्रावली विद्वांश कर नोट प्रेस में शारिख की जा चुकी है।
सेसी स्थिति में इस प्रा. पत्र पत्रावली का कोई औचित्य
नहीं रह गया है। अतः यह प्रा. पत्र पत्रावली भी नोट
प्रेस में शारिख की जाती है। पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन
आदेश निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली केवल बुनार
होकर मुम्बई से कम ले। बाँट सम्मिल संलग्न मूल दवा
पत्रावली रहे। सुनाया गया।

१२
सहायक कलक्टर
मुम्बई (अलवर) राज०